

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद

शासनादेश सं0 1999/1-13/13/2004 रा-13 दि0 11.11.2004 द्वारा निर्धारित प्रारूप

अधिकार पत्र (कब्जा परिवर्तन)

1. राजस्व ग्राम का नाम : नानू
2. परगना, तहसील व जिला : लोनी / गाजियाबाद / गाजियाबाद
3. अर्जन निकाय का नाम : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नि0ख0 - 22 वसुन्धरा गाजियाबाद
4. योजना का नाम : दिल्ली-साहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद
5. धारा-28(1) की विज्ञप्ति का दिनांक : 18.09.98
6. धारा-32(1) की विज्ञप्ति का दिनांक : 27.10.07
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि : - 27-12-12
8. कब्जा देने वाले का नाम : निरजन सिंह, तीरथ सिंह(अमीन) कार्यालय-अपर जिलाधिकारी (भूमिअध्यापि) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद

भूमि का विवरण जिसका कब्जा अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को हस्तान्तरित किया जा रहा है, जैसी भी स्थिति है। प्रश्नगत ग्राम की 83.258 हे0 विज्ञप्ति भूमि का कब्जा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को दिये जाने हेतु अमीन श्री निरजन सिंह एवं तीरथ सिंह को अधिकृत किया जाता है, कि वह उक्त भूमि का कब्जा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सहायक अभियन्ता श्री नवीन कुमार जैन को सौंपें, परन्तु प्रतिबंध होगा कि जिन खसरा नम्बरों का कब्जा परिवर्तन के समय सिविल कोर्ट/मा0 उच्च न्यायालय आदि से उक्त तिथि तक स्थगन है तो उन खसरा नम्बरों में कब्जा परिवर्तन नहीं माना जायेगा।

ग्राम का नाम : नानू

परगना:- लोनी तहसील/ जिला :- गाजियाबाद

क्र0स0	खसरा नं0	अर्जित किये जाने वाले गाटे का क्षेत्रफल (हेक्टेर में)	अन्य विवरण
1	92	2.538	
2	93	0.458	
3	94	0.436	
4	95	0.532	
5	96	2.012	
6	97	0.902	
7	98	0.555	
8	99	1.825	
9	101	1.372	